Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.3982, Volume 08, No. 01, January, 2018, pp. 547-551

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम का ग्रामीण विकास में योगदान

डॉ. एम. एल. शर्मा*
परमानन्द सुण्डा**

सार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम को सितम्बर 2005 में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का गारन्टीयुक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य रखा गया। बाद में 2012–13 में दिनो की संख्या बढाकर 150 कर दी गयी। मनरेगा से संबंधित अधिनियम में रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। ताकि रोजगार प्राप्त करने वालों में कम से कम एक तिहाई भाग महिलओं का है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को मनरेगा के अन्तर्गत मिला दिया गया। वर्ष 2007–08 में मनरेगा का विस्तार कर इसे 330 जिलों मे ंलागू कर दिया गया। वर्तमान मे मनरेगा का क्रियान्वयन सभी ग्रामीण जिलों में किया जा रहा है। मनरेगा केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तथा समावेशी विकास को बढावा देता है। वर्ष 2007–08 में 3.39 करोड ग्रामीण परिवारों को रोजगार गांरटी दी गयी। वर्ष 2009–10 के दौरान 160 करोड मानव दिवस के तुल्य रोजगार दिया गया। मनेरगा हेतु वर्ष 2009 –10 एवं 2012–13 के लिये क्रमश 39,100 करोड एवं 43,009 करोड रू का बजट आवंटित किया गया तथा जिसे बढाकर 2016 – 17 में 48,000 करोड रूपये कर दिया गया।

मनेरगा ग्रामीण परिवारों को लिये रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक समयबद्ध रोजगार आवंटन करता है तथा ग्रामीण क्षेत्र में जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रस्तुत शोध–पत्र में मनरेगा कार्यक्रम का विस्तार से मूल्यांकन किया गया है।

परिचय

भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवो में रहती है। गांवो के सर्वागीण विकास के लिए परिसम्पतियों का विकास भी सम्मिलित है गांव की अधिकांश परिसम्पतियां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि, जंगल व पालतू पशुओं के ऊपर निर्भर है। इन प्राकृतिक संसाधनों के समुचित विकास के साथ सभी रोजगार का सृजन होता है। ग्रामीण विकास एक ऐसी व्यूह रचना है। जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामुदायिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है।

विकासशील से विकसित देश बनने की प्रतिस्पर्धा में आज भारत भी अग्रसर है। इसी के चलते भारत सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन करने हेतु वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम तैयार किया गया तथा 2 फरवरी 2006 से राष्ट्रीसय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 लागू किया गया। वर्तमान में इस अधिनियम का नाम परिवर्तीत कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कर दिया गया।

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

मनरेगा का उद्देश्य देश की ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार को एक वित वर्ष में कम से कम 100 दिनो का गारण्टीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। वर्ष 2014 –15 में दिनों की संख्या 150 कर दि गई है। इस योजना का एक उद्देश्य भारत के ग्रामीण गरीब परिवारो को गरीबी रेखा की परिधि से बाहर लाना है। मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के सृजन हेतु अधिकांश कार्य दीर्घकालीन रूप से अनुपयोगी है मनरेगा के अन्तर्गत अधिकांशत ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं को पुनरूद्धार, नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य कराया जाता है।

भारत में ग्रामीण विकास एक ऐसी व्यूह रचना है। जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एव सामुदायिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनाई गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगो के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्म–पोषित बनाना शामिल है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोगो के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। जिसके अन्तर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, स्वास्थ्य शिक्षा संचार, सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आदि बातें सम्मिलित है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में रोजगार प्रदन करने के लिए महानरेगा योजना चलाई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक है। जो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूज हो सके।

मनरेगा में हर 3 महीने के भीतर सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने से आने वाले समय में यह कानून और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पांच हजार से कम जनसंख्या, जहां लोगो का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या का घनत्व 400 प्रतिवर्ग किलोमीटर से कम हो उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। यदि जनसंख्या का पांच हजार से अधिक हो तथा उसके क्षेत्र के निवासियों का व्यवसाय खेती हो तो उसे भी गांव कहते है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की व्याख्या मनुष्य व उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अन्तः क्रिया के आधार पर की जाती है

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने तथा प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तरदायी होने का आधारभूत महत्व है। उल्लेखनीय है, कि यह विचार सरकारी अधिकारियों का या जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए विषय निर्धारित हो एवं इस विषय सूची को जिला सूची के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। इस सूची के स्थानीय महत्व के विषय जैसे कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, समाज एवं परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, सामाजिक वनिकी, ग्रामीण सडके तथा ग्रामीण विद्युतीकरण आदि शमिल किए जा सकते है।

उद्‌देश्य

- प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयाय किया गया है। कि ग्रामीण विकास की पूर्ति महानरेगा में किस सीमा तक हुई है।
- इस शोध पत्र का उद्देश्य ग्रामीण विकास में महानरेगा की योजनाओं क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है।
- इस शोध पत्र में ग्रामीण एवं मनरेगा से संबंधित बजट का विश्लेषण किया गया है।
- प्रयास यह रहेगा कि अध्ययन को वास्तविक धरातल पर अधिक विश्वनीय एवं जनोपयोगी बनाना।

शोध प्रविधिः प्रस्तुत प्रस्ताव आनुभाविक अध्ययन है लेकिन साथ ही वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पर भी बल दिया गया है। संकलन उपलब्ध साहित्य, सरकारी प्रकाशन, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री से किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम मनरेगाः किसी देश की अर्थव्यवस्था रोजगार संसाधनो की उपलब्धता एवं उनके कुशल विदोहन पर निर्भर करती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का एक बडा भाग ऐसे असंगठित श्रम समूह का होता है, जो किसी भी नियमित नियोजन पर लगा हुआ नही होता है। संख्या की दृष्टि से यह श्रम शक्ति उस अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। संस्थानों में लगे हुए मजदूर और कर्मचारी श्रम संगठन बना कर कुछ हद तक अपने हितो की रक्षा करने मे सफल हो जाते है। पर प्रतिदिन काम की तलाश में रहने वाले असंगठित मजदूर रोजगार के किसी भी पहलू पर अपनी बात रखने की स्थिति में नही होते है। बेरोजगारी की दशा में तो स्थिति और भी भयावह होती है। 23अगस्त 2005 को भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 पारित करके भारत के विधिक इतिहास में सामाजिक आर्थिक न्याय की दृष्टि से एक युगान्तकारी पहल की है।

इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण भारत में रोजगार की उपलब्धता व उसकी सुनिश्चितता को न केवल विधिक आधार प्रदान किया गया है। अपितु उसके क्रियान्वयन हेतु एक उपयुक्त ढांचे की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रमीण क्षेत्रों में शारीरिक अकुशल श्रम करने के इच्छुक परिवारों के व्यस्क सदस्यों को प्रति वर्ष 150 दिन के रोजगार का अधिकार प्रदान किया जाना है। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार की उपलब्धता एवं उसकी सुरक्षा की स्थिति को बल मिलेगा।

रोजगार की उपलब्धता के साथ साथ अधिनियम से अनेक दूसरे प्रयोजन भी सिद्व होते है। जैसे– क्षेत्रो में उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं उनका रख रखाव, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, पर्यावरण संतुलन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण आदि। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने से शहरों की और पलायन की प्रवृति पर भी अंकुश लगेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार गारण्टीः इसमें रोजगार की गारण्टी निम्न प्रकार दी गई है।

- प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक मजदूरी के लिए सहमत वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 150 दिनो के रोजगार की गारण्टी है इस प्रकार एक परिवार एक वर्ष में कम से कम 150 दिनो का काम प्राप्त करने का हकदार होगा।
- इसके लिए परिवार के पंजीकृत होना होगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार के एक ''जॉबकार्ड'' दिया जायेगा। यह रोजगार प्राप्त करने के हक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- जॉब कार्ड प्रत्येक पंजीकृत परिवार को पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा। इस पर फोंटोग्राफ भी होगा। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होगा। तथा इस पर पंजीकरण संख्या लिखी हुई होगी।

मनरेगा में कार्य के लिए आवेदनः रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक व्यस्क सदस्य को यह अधिकार है। कि वह ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित आवेदन है और तारीख युक्त आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करे। आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनो के लिए किया जाना चाहिए।

महिलाओं को प्राथमिकताः इस अधिनियम में रोजगार प्रदान करने में महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है ताकि रोजगार प्राप्त करने वाले में कम से कम एक तिहाई भाग महिलाओं का हो।

मनरेगा में समयबद्ध रोजगार आंबटनः इस संबंध में निम्न प्रावधान है।

- आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत, पत्र के माध्यम से आवेदको को 15 दिन केअन्दर यह सूचित करेगी कि कब और कहा काम के लिए उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक आम सूचना लगाई जायेगी।

मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी की गारण्टीः इस संबंध में निम्न प्रावधान है।

- राज्य कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी।
- मजदूरी का भूगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर दिया जायेगा।
- कार्य आवेदक के निवास स्थान से 5 किमी की परिधि के भीतर दिया जायेगा। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।
- प्रत्येक कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जायेगी।
- यदि कार्य स्थल पर लाए जाने वाले बच्चो की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किए गए कार्यो का भूगतान किया जायेगा।
- कार्यस्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा मुक्त इलाज की सुविधा दी जायेगी।

मनरेगा में स्थायी परिसम्पतियों का सृजनः इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य किये जा सकेगे।

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण
- सूखा निवारण, वन रोपण और वृक्ष रोपण।
- सिंचाई नही जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल है।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के भू – स्वामियें की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों के लिए सिंचाई सुविधाएं।
- पारस्परिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसमें तालाबों से मिट्टी निकालना भी शामिल है।
- भूमि विकास
- बांढ नियंत्रण एवं पानी की निकासी सहित कार्यो का संरक्षण।
- बारह मासी संडक सम्पर्क।
- अन्य ऐसे कार्य जिन्हे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित कर सकता है।
- कार्यक्रम में ठेकेदारी की मनाही है।

खोज एवं सुझावः भारत में ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास करने के लिये विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन किया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरूआत अन्त्योदक कार्यक्रम से हुई जिसे बाद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में परिवर्तीत कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्रम स्वरोगार योजना, सम्पूर्ण ग्रमीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम रहे। परन्तु 2 फरवरी 2006 को ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारण्टी युक्त रोजगार देने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की शुरूआत की गयी जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरण्टी कार्यक्रम – मनेरगा के नाम से जाना जाता है तथा दिनों कि संख्या बढाकर 150 की गई है। वर्ष 2008 – 09 में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया है।
मनेरगा का उद्देश्य प्रत्येक वितीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारिरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम 150 दिनो का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है। मनरेगा हेतु वर्ष 2012–13 में मनेरगा कार्यक्रम के लिए कुल राशि 43009 करोड रू उपलब्ध थी ग्रामीण परिवारों को कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है। परन्तु सरकार को इस कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने की आवश्कयता है। निर्धारित दिवसों में कार्य पूरा करने अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को कार्यक्रम में शामिल करने समय पर मजूदरी का भुगतान करने एवं संबंधित अधिकारियों की जागरूकता पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिससे कार्यक्रम को अपने उद्देश्य प्राप्त में सफल बनाया जा सके।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मनेरगा केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो निर्धन लोगो को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनके जीवन को प्रभावित करता है तथा समावेशी विकास को बढावा देता है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 2009–10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम कर दिया गया है तथा रोजगार दिनों कि संख्या बढाकर 150 कर दी गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारन्टी दी जाती है।

अधिनियम में महिलाओं को प्राथमिकता समयबद्ध रोजगार आबंटन बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी स्थायी परिसम्पतियों का सृजन आदि सम्मिलित है। वर्ष 2008 –09 में 4.51 करोड परिवारों के सदस्यों को रोजगार दिया गया। वर्ष 2009 –10के दौरान 160 करोड मानव दिवस के तुल्य रोजगार दिया गया। वर्ष 2012 –13 तथा 2016–17 के लिए क्रमशः 43009 तथा 48000 करोड रूपये का बजट आवंटित किया गया। निष्कर्ष के रूप में मनरेगा रोजगार गारन्टी हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

✠ डॉ. बी. पी. गुप्ता एवं डां. एच आर स्वामी ग्रामीण विकास एंव सहकारीता आर बी. डी. पब्लिशिंग हाउस जयपुर 2015

✠ डां. सुधा काला, पंचायती राज ग्रामीण विकास का राज. कुरूक्षेत्र अगस्त 2008 पृष्ठ 17

- डां. बद्री विशाल त्रिपाठी भारतीय गांव प्रगति के पथ पर कुरूक्षेत्र फरवरी 2008 पृ. सं. 30–31
- शिव कुमार एफडी आई इन सेक्टर इन इण्डिया पालिसी इश्यूज इंडियन जर्नल ऑफ न्यू डाइमेंशन्स वॉल्यूम 3, ईशू 1 आई एम एस एन 2227 – 9876 पृ. 139
- जैनेन्द्र कुमार वर्मा, इम्पैक्ट ऑफ एंट्रीप्रनियोरशिप ऑन इकोनोमिक डेवलपमेंट इन इण्डिया अ क्रिटिकल स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ न्यू डाईमेंशन्स वॉल्यूम 3 ईशू 1 आई एस एस एन 2227 – 9876 पृष्ट 132
- रूद्र दत्त एवं केपी एम सुन्दरम भारतीय अर्थव्यवस्था एस चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली चवालीसवां संस्करण 2009 पृ. सं14
- राजीव कुमार ग्रामीण विकास के लिए चाहिए नया दृष्टिकोण कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली जनवरी 2009 पृ. सं 14
- शिव कुमार समावेशी विकास में महात्मा गांधी नरेगा की भूमिका रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट सांइस एंड टेक्नोलोजी वॉल्यूम 5 इश्यू 1 आई एस एस एन 2250 – 1959 पृष्ठ सं 24–25
- वार्षिक रिपोर्ट 2009 –10 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ 165
- वाषिक रिपोर्ट 2009 – 10 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ सं 169
- भारत 2008 प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृ 829
- वार्षिक रिपोर्ट 2009 10 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पृ 176
- वार्षिक रिपोर्ट 2016 –17 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

☯☯☯